न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि/टीए/310/2004/उदयपुर

1. भूरसिंह
2. लालसिंह
3. गोपसिंह
4. जवानसिंह पुत्रगण गणेशसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम पालडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
5. श्रीमती कैसी पुत्री गणेशसिंह पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम छोटा हवाला तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. महादेव जी विराजमान ग्राम पालडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
   जरिये वादमित्र रमेशचन्द पुत्र मोहनलाल छोटा नागदा निवासी ग्राम पालडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

–वादी/प्रत्यर्थी

2. मोहनलाल पुत्र कालू मृतक जरिये वारिसान–

2/1. रमेशचन्द

2/2. विष्णुशंकर

2/3. नारायणलाल पुत्रगण मोहनलाल नागदा
समस्त निवासी पालडी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

–प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री पूर्णाशंकर दशौरा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण

श्री अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 21.01.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत भू–प्रबन्ध अशिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, मु0 उदयपुर के न्यायालय में एक राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत अपीलार्थीगण के पूर्वज प्रतिवादी संख्या–1 गणेशसिंह एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा पालडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 529, 530, 531 एवं 536 कुल किता चार कुल रकबा 02बीघा 09बिस्वा भूमि मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी के नाम दर्ज रिकार्ड है लेकिन प्रतिवादी संख्या–2 ने इस तथ्य को छुपाते हुए विवादित आराजी का विक्रय प्रतिवादी संख्या–1 के पक्ष में कर दिया। विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या–1 का कब्जा अवैधानिक है, जिसे बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि कानूनी स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं होने से प्रतिवादी संख्या–1 ने अवैध रूप से विक्रय करा लिया। अतः यदि प्रतिवादी संख्या–1 का कब्जा हटाया जाकर बजरिये खातेदार महादेवजी कब्जा वादी पुजारी रमेशचन्द को सुपुर्द किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या–2 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित

आठ विवाद्यक कायम करने के पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 22–04–2002 से स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या–1 को विवादित आराजी का कब्जा महादेव जी को सुपुर्द करने एवं उक्त भूमि की देखरेख पुजारी प्रतिवादी संख्या–2 मोहनलाल पिता कालू वादी के हित में काबिज रह कर करेगें, की डिक्री पारित की। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 गणेशसिंह के वारिसान अपीलार्थीगण की ओर से भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–10–2003 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर यह अपील प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के सक्षम प्रतिवादी संख्या–1 का देहान्त हो गया था तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22–7–1998 को कायम मुकाम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया था तो ऐसी सूरत में आदेश 22 नियम 4 व 5 जाप्ता दीवानी में वर्णित विधिक प्रावधानानुसार विचारण न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि वह उनके सम्मुख प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थनापत्र को निर्णीत करते तथा मृतक के वारिसान को नोटिस देकर सुनवाई करते परन्तु उन्होंने ना तो कायम मुकाम प्रार्थनापत्र निर्णीत किया ना ही मृतक के विधिक वारिसान अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई

अवसर दिया, वरन् मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित कर दी, जो प्रारम्भ से ही शून्य थी। फिर भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दू पर अपना कोई निर्णय पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पोशिदा तौर पर प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिवादी संख्या–2 से 2000/–रूपये के बिकाव के आधार पर वर्ष 1965 में कब्जा प्राप्त किया, जो अवैध नहीं होकर मन्दिर के पुजारी द्वारा रूपये लेकर काश्त का अधिकार दिया गया था। अब उसी ने अपने पुत्र रमेशचन्द्र को आगे कर यह दावा प्रस्तुत करा दिया जबकि 1965 से ही दोनों पिता पुत्र को उक्त तथ्य की जानकारी थी। इसलिए वाद कारण वर्ष 1983 का अंकित किया जाना पूर्णतया गलत है। उनका कथन है कि विवादित आराजी बाबत् वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि तनकी संख्या–3 के निर्णय में विवादित भूमि के उपयोग/उपभोग का प्रतिवादी संख्या–1 को अधिकारी माना तो फिर स्वयं के निर्णय एवं फाईण्डिग के विपरीत होकर अनुतोष में प्रतिवादी संख्या–1 का कब्जा अवैध बताते हुए प्रतिवादी संख्या–2 को दिये जाने का जो आदेश दिया है, वह पूर्णतयाः अविधिक एवं स्वयं विरोधाभासी है। उनका कथन है कि विक्रयपत्र दिनांक 15–4–1965 का है, तभी से विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या–1 काबिज हुआ जबकि वादपत्र वर्ष 1983 में अर्थात् 18 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत किया गया, जो स्पष्टतयाः मियाद बाहर था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की भूमि होना प्रमाणित है। उनका कथन है कि मूर्ति मन्दिर की भूमि पर अपीलार्थीगण का नाजायज कब्जा था, जिन्हें बेदखल कराने एवं कब्जा प्राप्त करने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय से डिक्री किया गया है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, मु0 उदयपुर के न्यायालय में बेदखली का वाद अपीलार्थीगण के पूर्वज प्रतिवादी संख्या–1 गणेशसिंह एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी के नाम राजस्व अभिलेख दर्ज खसरा नम्बर 529, 530, 531 एवं 536 कुल किता चार कुल रकबा 02बीघा 09बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा मूर्ति मन्दिर को दिलाये जाने का अनुतोष चाहा।

8. प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में मूर्ति मन्दिर की भूमि पर काबिज प्रतिवादीगण को बेदखल कराने का अधिकार वादी मूर्ति मन्दिर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी संख्या–2 ने मूर्ति मन्दिर की विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या–1 को विक्रय की गयी, जिसका वैधानिक रूप से प्रतिवादी संख्या–2 को कोई अधिकार नहीं था। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा निष्पादित बैचान के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 का विवादित आराजी पर कब्जा साधिकार होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि बैचाननामें के आधार पर विवादित आराजी क्रेता के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हुई है तथा प्रतिवादी संख्या–2 को मूर्ति मन्दिर की आराजी का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के तहत मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है तथा मूर्ति मन्दिर की भूमि पर अन्य व्यक्ति कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध बेदखली की डिक्री पारित की गयी, जिनमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर तनकीवार विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील के स्तर पर कायम की गयी तनकीयात पर पुनः विस्तृत विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. जहां तक योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण की यह आपत्ति कि विचारण न्यायालय न्यायालय के समक्ष मूल वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या–1 का देहान्त हो गया था, जिनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान बेदखली के वाद को डिक्री किया गया, जो मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित होने से प्रारम्भ से शून्य प्रभावी है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। मूल वाद में विचारण न्यायालय द्वारा लिखी गयी आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या–1 गणेशसिंह की मृत्यु हो जाने पर आदेशिका दिनांक 22–7–1998 के अनुसार वादी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–4–1999 से स्वीकार किया जाकर मृतक प्रतिवादी संख्या–1 के विधिक वारिसान अपीलार्थीगण को रिकार्ड पर लिया गया तथा तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। आदेशिक दिनांक 21–06–1999 के अनुसार मृतक प्रतिवादी संख्या–1 के विधिक वारिसान की ओर से सुरेश टिलावत की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली में बी/5 पर संलग्न है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के शीर्षक उनवान में मृतक प्रतिवादी संख्या–1 के विधिक वारिसान का नाम अंकित नहीं होना से यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

10. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना

न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14-10-2003 एवं विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 उदयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-04-2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य